संख्या- 31 / 2017 /223/चार-2017 -11 (मूर्ति)/2015

प्रेषक,

जगदीश प्रसाद
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मार्च , 2017

विषयः- जनपद मऊ दीप निकेतन महाविद्यालय , भाटी कला करहॉ के प्रांगण में वीरागंना ऊदादेवी जी की 07 फिट ऊॅची अश्वारोही कास्य (धातु) की मूर्ति के निर्माण/स्थापना की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2825/सं0नि-25(73)/2015 दिनांक 09 फरवरी 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मऊ दीप निकेतन महाविद्यालय , भाटी कला करहॉ के प्रांगण में वीरागंना ऊदादेवी जी की 07 फिट ऊॅची अश्वारोही कास्य (धातु) की मूर्ति के निर्माण/स्थापना किये जाने हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वतन पर रखी धनराशि रू0 5.00 लाख में से उक्त मूर्ति की कुल लागत रू0 6.25 लाख (रूपये छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा 75 प्रतिशत अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यथा प्रस्तावित कुल धनराशि रू0 4,68,750/- (रूपये चार लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

3- उक्त धनराशि रू0 4,68,750/- (रूपये चार लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा-खेलकूद-कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय-09-महापुरूषों की मूर्तियोंका निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या- 31 / 2017 /223 (1)/चार-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/